सुरेश कुमार

विरूद्ध

हिमाचल प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 560, 2008)

27 मार्च 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.)

दंड संहिता, 1860

धारा 304, भाग 1- शादी की पार्टी के दौरान विवाद- अपीलकर्ता ने अपनी पतलून की जेब से चाकू निकोला और पी.डब्ल्यू.- 1 के बेटे के पेट पर वार किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई- निचली अदालतों द्वारा धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्धि की- चुनौती- अभिनिर्धारित- तथ्यों के आधार पर, उचित दोषसिद्धि धारा 304 भाग 1 के तहत 10 साल की हिरासत की सजा के साथ होगी- तदनुसार दोषसिद्धि में बदलाव किया गया।

धारा 300, अपवाद 4- की प्रयोज्यता- पर चर्चा की गई।

शब्द और वाक्यांश- अचानक लड़ाई और अनुचित लाभ- को अर्थ- धारा 300 आईपीसी के अपवाद 4 के संदर्भ में।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक शादी की पार्टी के दौरान एक विवाद के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता ने अपनी पतलून की जेब से चाकू निकोला और पी.डब्ल्यू.- 1 के बेटे के पेट पर वार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ट्रायल कोर्ट ने पी.डब्ल्यू. 3

और 4 के साक्ष्य को विश्वसनीय पाया और तदनुसार अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। दोषसिद्धि को अपील में चुनौती दी गई थी, जिसमें अभियोजन पक्ष की विश्वसनीयता के सवाल के अलावा, यह भी दलील दी गई थी कि आईपीसी की धारा 302 जी के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया था। हाई कोर्ट ने याचिको को स्वीकार नहीं किया और अपील खारिज कर दी। अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को इस न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि प्रत्यक्षदर्शी पी.डब्ल्यू. 3 और 4 विश्वसनीय नहीं थे. शेष रूप से दलील दी गई कि आईपीसी की धारा 302 के तहत कोई अपराध नहीं बनता क्योंकि घटना अचानक हुए झगड़े के दौरान हुई थी और आईपीसी की धारा 300 को अपवाद 4 लागू था।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए माना गया 1. पी.डब्ल्यू. 3 और 4 के साक्ष्य में कोई दुर्बलता नहीं है। यह ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद है। [पैरा 7] [544- एफ]

2.1. आईपीसी की धारा 300 को चैथा अपवाद अचानक लड़ाई में किए गए कृत्यों को कवर करता है। आईपीसी की धारा 300 अपवाद 4 को लागू करने के लिए, यह स्थापित करना होगा कि यह कृत्य बिना किसी पूर्वचिन्तन के, अचानक हुए झगड़े में, अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना, जोश में आकर किया गया था। क्रूर या असामान्य तरीके से कोर्य नहीं किया गया। उक्त अपवाद अभियोजन के एक ऐसे मामले से संबंधित है जो पहले अपवाद के दायरे में नहीं आता, जिसके बाद इसको स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद एक ही सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में पूर्वचिन्तन को अभाव है। लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्म- नियंत्रण को पूर्ण रूप से अभाव है, अपवाद 4 के मामले में, केवल जुनून एवं अचानक उत्पन्न गुस्से को परिणाम है जो व्यक्ति के शालीन व्यवहार को समाप्त कर उसे ऐसे कार्यों के लिए

प्रेरित करती है जो वह अन्यथा नहीं करता है। अपवाद 1 की तरह अपवाद 4 में भी उकसावे की स्थिति है; लेकिन जो चोट लगी है वह उस उकसावे को प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें इस बात के बावजूद कि कोई वार किया गया हो, या विवाद के मूल में कोई उकसावा दिया गया हो या किसी भी तरह से झगड़ा उत्पन्न हुआ हो, इसके बावजूद भी दोनों पक्षों के बाद को आचरण उन्हें झगडे के संबंध में समान स्तर पर अपराध बोध दर्शाता है। अचानक लड़ाई को तात्पर्य आपसी उकसावे और दोनों तरफ से मारपीट से है। तब किया गया मानव वध स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के कोरण नहीं होता है, न ही ऐसे मामलों में पूरा दोष एक तरफ रखा जा सकता है। यदि ऐसा होता तो अधिक उपयुक्त रूप से लागू होने वाला अपवाद, अपवाद 1 होगा। लड़ने के लिए कोई पूर्व विचार- विमर्श या दृढ़ संकल्प नहीं है। अचानक झगड़ा हो जाता है, जिसके लिए कमोबेश दोनों पक्ष दोषी होते हैं, हो सकता है कि उनमें से एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने अपने आचरण से इसे नहीं बढ़ाया होता तो यह नहीं होता। झगडे ने जो गंभीर मोड़ लिया है, वह नहीं होता। जहां आपसी उकसावे की कोर्रवाई होती है और दोष को हिस्सा बाँटना कठिन है जो प्रत्येक झगडा करने वाले से जुडा है। अपवाद 4 की मदद तब ली जा सकती है जब मृत्यु (ए) बिना पूर्वचिन्तन के, (बी) अचानक लड़ाई में हुई हो, (सी) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर और असामान्य तरीके  अप्रायिक रिति से कोर्य किए बिना और (डी) लड़ाई, झगडे में मारे गए व्यक्ति के साथ हुई होगी। [पैरा 9,10] [544- जी, एच] [545- ए- जी]

2.2. किसी मामले को अपवाद 4 के अंतर्गत लाने के लिए उसमें उल्लेखित सभी तत्व मिलने चाहिए। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाली लड़ाई को भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। लड़ाई करने के लिए

दो लोगों की जरूरत होती है। Heat of passsion के लिए जरूरी है कि जुनून को ठंडा होने को समय न मिले और इस मामले में, पार्टियों ने खुद ही कोम किया है आरंभ में मौखिक विवाद के कोरण रोष उत्पन्न हुआ। लड़ाई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है, चाहे वे हथियारों के साथ हों या उनके बिना। अचानक होने वाला झगड़ा किसे माना जाएगा, इसके बारे में कोई सामान्य नियम बताना संभव नहीं है। यह तथ्य को प्रश्न है कि झगड़ा अचानक है या नहीं। यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के साबित तथ्यों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अपवाद 4, के लिए लागू होने के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि कोई अचानक झगड़ा हुआ और कोई पूर्वचिन्तन नहीं था। यह भी अनिवार्य रूप से दिखाया जाए कि अपराधी ने कोई अनुचित कोर्रवाई नहीं की है ना ही अनुचित लाभ उठाया या क्रूर या असामान्य ढंग अप्रायिक रिति से कोर्य किया। प्रावधान में प्रयुक्त जी अभिव्यक्ति *Undue Advantage* को अर्थ 'Unfair Advantage' है। [पैरा 10] [545- सी, एच; 546- ए, बी, सी]

2.3. जहां अपराधी अनुचित लाभ उठाता है या क्रूर या असामान्य तरीके से कोर्य करता है, वहां उसे अपवाद 4 को लाभ नहीं दिया जा सकता। यदि हथियार को प्रयोग किया गया है या हमलावर द्वारा हमले को तरीको सभी अनुपात से बाहर है तो उस परिस्थिति को यह तय करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या अनुचित लाभ उठाया गया। [पैरा 11] [546- सी,डी]

रैफर न्यायिक निर्णय- किकर सिंह बनाम राजस्थान राज्य (ए.आई.आर. 1993 सुप्रीम कोर्ट 2426)

3. जब अभियोजन साक्ष्य के आलोक में तथ्यों पर विचार किया जाता है तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि उचित सजा धारा 304 भाग 1 भारतीय दण्ड संहिता के

तहत होगी। 10 साल के कोरावास की सजा न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करेगी। [पैरा 12] [546- ई, एफ]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील नम्बर 560/2008।

आपराधिक अपील नम्बर 455/2002 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.12.2004 से।

जे.एम. खन्ना (एससीएल/एससी) अपीलार्थी की ओर से।

न्यायालय को निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकार।

2. इस अपील में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में आईपीसी) की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता की दोषिसिद्धि को बरकरार रखा गया है। विद्वान अतिरिक्त सत्र, न्यायाधीश- प्रथम, कोंगड़ा ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया था और आजीवन कोरावास और डिफॉल्ट शर्त के साथ 5,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

3. पृष्ठभूमि के तथ्य जिनके कोरण अभियुक्त पर मुकदमा चलाया गया, वे अनिवार्य रूप से इस प्रकार हैं-

बृज लाल (पी.डब्लू.- 1) गांव नड्ड, तहसील बरोह, जिला कोंगड़ा को निवासी है। श्रवण कुमार (पी.डब्लू.- 3) भी उसी गांव को है। 27.02.2001 को पी.डब्लू.- 3 के पुत्र संजय कुमार को विवाह संपन्न हुआ। शाम करीब साढ़े छह बजे संजय कुमार की बारात

गांव नड्ड से दनोआ के लिए पैदल रवाना हुई। पी.डब्लू.- 1 और उनके बेटे संजीव कुमार (बाद में 'मृतक' के रूप में संदर्भित) ने भी उक्त विवाह पार्टी में भाग लिया। शाम करीब साढ़े सात बजे बारात ठंडा पानी नामक स्थान पर पहुंची। ग्राम लहार से एक और बारात भी'' '' - गा रहे थे। कुछ विरोध के कोरण मामूली बात पर आरोपी और संजीव कुमार के बीच गाली-गलौच और तकरार हो गई। आरोपी ने अपनी पतलून की जेब से चाकू निकोला और संजीव कुमार के पेट पर वार कर दिया। खून भरी चोट लगने से वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया। पी.डब्लू.- 1 ने अपनी पत्नी को गांव से बुलाया। उन दोनों ने घायल संजीव कुमार को कोंगड़ा के अस्पताल ले जाने के लिए एक निजी जीप की व्यवस्था की, लेकिन रास्ते में रसूह चैक पर संजीव कुमार की मौत हो गई। पी.डब्लू.- 1 ने पी.डब्लू.- 2 श्रीमती उषा गुलेरिया जिला परिषद की पूर्व सदस्य को घटना के बारे में सूचित किया। पी.डब्लू.- 2 ने अपने पीसीओ से एसआई/एसएचओ पुलिस स्टेशन कोंगड़ा को चाकू से लगी चोटों के कोरण संजीव कुमार की मौत के बारे में सूचित किया। पी.डब्लू.- 11 एसआई सुरबक्स सिंह, स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन, कोंगड़ा ने पी.डब्लू.- 2 की टेलीफोनिक जानकोरी को दैनिक डायरी एक्सटेंशन पी.डब्लू.- 9/ए में दर्ज किया। वह एएसआई दूलो राम, हेड कोंस्टेबल कौर चंद, कोंस्टेबल संद कुमार और सुभाष चंद तुरंत मौके पर पहुंचे। पी.डब्लू.- 11 ने शिकोयतकर्ता पी.डब्लू.- 1 को बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 (संक्षेप में सीआरपीसी) (प्रदर्श PA) दर्ज किया जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु थाने भेजा गया। पी.डब्लू.- 12 इंस्पेक्टर सुरिंदर सिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.डब्लू. 11/K) दर्ज की, जांच Inquest report रिपोर्ट (प्रदर्श पी.डब्लू. 11/B) पी.डब्लू.- 11 द्वारा मौके पर ही तैयार की गई थी। मृतक संजीव कुमार के शव को पोस्टमार्टम के

लिए सिविल अस्पताल कोंगड़ा भेजा गया। पी.डब्लू.- 11 ने उसी दिन घटनास्थल को दौरा किया। अगले दिन उन्होंने नक्शा मौको (प्रदर्श पी.डब्लू. 11/C) तैयार किया और गवाहों के बयान दर्ज किए। वह खरत गांव गए, जहा''"बार'' ' के सदस्य ठहरे हुए थे। उन्होंने आरोपी की तलाश की, जो सुबह करीब 11 बजे अमर नाथ नामक व्यक्ति के घर में सोता हुआ मिला। अभियुक्त से पूछताछ की गई और पी.डब्लू.- 11 द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त की व्यक्तिगत खोज पर ''डैगर'' (प्रदर्श पी- 1) उसके द्वारा छिपाकर कमरे में छिपाया गया था जो मूल बरामद किया गया। 'डैगर' को रिकवरी मेमो (प्रदर्श पी- 11/P) पी.डब्लू.- 6 रमेश कुमार और अमर नाथ (परीक्षित नहीं) की उपस्थिति में तैयार किया गया था (जांच नहीं की गई)।' ' /1 को एक पार्सल में सील छाप के साथ सील कर दिया गया था, जिसे उपयोग के बाद पी.डब्लू. 6 को सौंप दिया गया था। 'डैगर' को स्केच मानचित्र एक्सटेंशन प्रदर्श पी. 11/G भी 28.02.2001 को तैयार किया गया था। 'डैगर' सील छाप के नमूने के साथ पुलिस स्टेशन में पी.डब्लू.- 10 हेड कोंस्टेबल देश राज के पास जमा कर दिया गया। पी.डब्लू.- 13 डॉ. डी.पी. स्वामी ने 28.02.2001 को सुबह 11.30 बजे डॉ. राजिंदर प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल धर्मशाला में संजीव कुमार के शव को पोस्टमॉर्टम किया। डॉ. स्वामी को मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें मिलीं:

बाह्य स्थितिः

''दोनों बनियानों (एक टी शर्ट) पर भी चाकू के निशान देखे गए, जो 1 इंच गुणा १/२ इंच गहरे धुरी के आकोर के खून से भरे हुए। कपड़ों, पैंट, पायजामा और कच्छे पर खून के थक्के एवं कपडे खून से सने हुए। दाहिनी निचली छाती से लेकर जघन (जननांग) तक लालिमा लिए हुए घाव जो हल्को सफेद।

मृत्यु पूर्व घाव-

**1.** "लीवर को स्तंभ.. छुरा घोंपने को घाव छाती के दाहिने तरफ नीचे की ओर सातवीं पसली पर स्टेरियम से 1 इंच दूर नीचे की ओर तेज किनारे धुरी के आकोर को।"

'पेट:-

लीवर खण्ड....1 इंच गुणा १/२ इंच गुणा 3 इंच लंबाई, चौडाई और गहराई। धुरी के आकोर को छुरी को घाव निरंतरता जैसा कि ऊपरी मध्य सतह पर बाहरी रूप से परिलक्षित होता है, क्षेत्र में 100- सीसी रक्त को थक्को जम गया है। डायाफ्राम भी इस क्षेत्र से सटा हुआ कटा है।"

डॉक्टर की राय में, संजीव कुमार की मृत्यु लीवर पर चाकू से चोट लगने के कोरण् अत्याधिक रक्त स्त्राव से हुई। खून की कमी से उत्पन्न सदमे से हुई, मृतक को लगी चोट तुरंत प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में तत्कोल मृत्यु कोरित करने के लिए पर्याप्त थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.डब्लू.- 13/B को पी.डब्लू.- 11 को सौंप दिया गया।

पी.डब्लू.-11 ने रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट (प्रदर्श पी.डब्लू.- 11/1) और (प्रदर्श पी.डब्लू.-11/J) प्राप्त होने पर और जांच पूरी होने पर, मामले की फाइल पी.डब्लू.-12 को सौंप दी, जिन्होंने चालान तैयार किया और आरोपी को विचाराणार्थ प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त ने आरोप के लिए दोषी नहीं होने को अनुरोध किया और मुकदमा चलाए जाने को दावा किया।

4. अभियोजन पक्ष के संस्करण के समर्थन में 13 गवाहों को परीक्षण किया गया। आरोपी ने निर्दोष होने को अभिवाक लिया। ट्रायल कोर्ट ने पी.डब्लू. 3 और 4 को

विश्वसनीय पाया और तदनुसार उपरोक्त धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराया। दोषसिद्धि को अपील में चुनौती दी गई थी। अभियोजन पक्ष की विश्वसनीयता के सवाल के अलावा, यह दलील दी गई कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है। उच्च न्यायालय ने उस याचिको को स्वीकार नहीं किया और जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपील खारिज कर दी।

5. इस अपील में अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष की गई दलील को दोहराया गया।

6. नोटिस की तामील के बावजूद राज्य की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

7. पी.डब्लू 3 और 4 के साक्ष्य में कोई खामी नहीं है। यह ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद है।

8. शेष याचिको भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 की प्रयोज्यता से संबंधित है क्योंकि यह तर्क दिया गया है कि घटना अचानक झगड़े के दौरान हुई थी।

9. इसे क्रियान्वित करने के लिए यह स्थापित करना होगा कि यह कृत्य बिना किसी पूर्वचिन्तन के, जोश में आकर अचानक हुई लड़ाई में, अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना और क्रूर या असामान्य तरीके से कोर्य किए बिना किया गया था।

10. धारा 300 भादस के को चौथे अपवाद के अंतर्गत अचानक हुए झगड़े में किया गया कृत्य आईपीसी के अंतर्गत आता है। उक्त अपवाद अभियोजन के एक ऐसे मामले से संबंधित है जो पहले अपवाद के दायरे में नहीं आता, जिसके बाद इसको

स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद एक ही सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में पूर्वचिन्तन को अभाव है। लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्म- नियंत्रण को पूर्ण अभाव है, अपवाद 4 के मामले में, केवल जुनून जनित आवेश की वह तीव्रता है जो पुरुषों के शांत कोरण को ढक देती है और उन्हें ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करते। अपवाद 1 की तरह अपवाद 4 में भी उकसावे की स्थिति है लेकिन जो चोट पहुंचाई गई है वह उस उकसावे को प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें वार लगने के बावजूद भी, या विवाद के मूल में दिया गया कोई उकसावा या किसी भी तरह से झगड़ा उत्पन्न हुआ हो, फिर भी दोनों पक्षों को बाद को आचरण उन्हें अपराध के संबंध में समान स्तर पर रखता है। 'अचानक लड़ाई' को तात्पर्य आपसी उकसावे और दोनों तरफ से मारपीट से है। तब की गई हत्या स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के कोरण नहीं होती है, न ही ऐसे मामलों में पूरा दोष एक तरफ रखा जा सकता है। यदि ऐसा होता, तो अधिक उपयुक्त रूप से लागू होने वाला अपवाद अपवाद 1 होता। लड़ने के लिए कोई पूर्व विचार- विमर्श या दृढ़ संकल्प नहीं है। अचानक झगड़ा हो जाता है, जिसके लिए कमोबेश दोनों पक्ष दोषी होते हैं। हो सकता है कि उनमें से एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने इसे अपने आचरण से नहीं बढ़ाया होता तो इसने इतना गंभीर रूप नहीं लिया होता। इसके बाद आपसी उकसावे और उत्तेजना होती है, और प्रत्येक झगडा करने वाले पर जो आरोप लगता है, उसे बांटना मुश्किल होता है। अपवाद 4 की मदद तब ली जा सकती है जब मृत्यु (ए) बिना किसी पूर्वचिन्तन के, (बी) अचानक लड़ाई में हुई हो (सी) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कोर्य किए बिना और (डी) लड़ाई, लड़ाई में मारे गए व्यक्ति के साथ हुई होगी। किसी मामले को अपवाद 4 के अंतर्गत लाने के लिए उसमें उल्लिखित सभी विशिष्टयां मिलनी चाहिए ।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपवाद 4 में होने वाली 'मृत्यु' (ए) बिना किसी पूर्वचिन्तन के, (बी) अचानक लड़ाई में (सी) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कोर्य किए बिना और (डी) लड़ाई मारे गए व्यक्ति के साथ हुई होगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपवाद 4 में होने वाली 'लड़ाई' भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 आईपीसी में परिभाषित नहीं है. लड़ाई करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। जुनून की गर्मी के लिए जरूरी है कि जुनून को ठंडा होने को समय न मिले और इस मामले में, पार्टियों ने शुरुआत में मौखिक विवाद के कोरण खुद को क्रोधित कर लिया है। लड़ाई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है चाहे वे हथियारों के साथ हों या उनके बिना। अचानक होने वाला झगड़ा किसे माना जाएगा, इसके बारे में कोई सामान्य नियम बताना संभव नहीं है। यह तथ्य को प्रश्न है और झगड़ा अचानक है या नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए। अपवाद 4 को लागू करने के लिए, यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वचिन्तन नहीं था। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से कोर्य नहीं किया है।

11. जहां अपराधी अनुचित लाभ उठाता है या क्रूर या असामान्य तरीके से कोर्य करता है, उसे अपवाद 4 को लाभ नहीं दिया जा सकता है। यदि इस्तेमाल किया गया हथियार या हमलावर द्वारा हमले को तरीको सभी अनुपात से बाहर है, तो यह तय करने के लिए उस परिस्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या अनुचित लाभ उठाया गया है। किकर सिंह बनाम राजस्थान राज्य(ए.आई.आर. 1993 एससी 2426) में यह माना गया था कि यदि आरोपी ने निहत्थे व्यक्ति के खिलाफ घातक हथियारों को इस्तेमाल किया और सिर पर वार किया, तो यह माना जाना चाहिए कि वार इस ज्ञान

के साथ करना कि मृत्यु होना संभावित था या मौत को कोरण बनने के लिए उसने अनुचित लाभ उठाया था।

12. जब अभियोजन साक्ष्य के आलोक में तथ्यों पर विचार किया जाता है, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि उचित सजा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग प् के तहत होगी। 10 साल की हिरासत की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।

13. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी उदय सिंह अलोरिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण**: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।